भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2753

सोमवार, 9 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक)

श्रमिकों का कल्याण

†2753. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मजदूरी की असमानता को दूर करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा क्षेत्रीय और क्षेत्रगत विषमताओं तथा महिला-पुरुष वेतन के अंतर को कम करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का मजदूरी के युक्ति संगतीकरण, समान पारिश्रमिक प्रणाली और कौशल-आधारित मजदूरी पद्धति शुरू करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के कार्यान्वयन के लिए एक कुशल तंत्र स्थापित करने का विचार है और यदि हाँ, तो विशेषकर निर्माण और खनन क्षेत्र में श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्रवाई शुरू करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को लाभ प्रदान करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंध तर्कसंगत बनाए गए हैं और इन्हें मजदूरी संहिता, 2019 के तहत समाहित किया गया है, जिसे सभी रोजगारों में न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक रूप से लागू करने के उद्देश्य से और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के संबंध में कोई लैंगिक भेदभाव न हो, दिनांक 21.11.2025 से प्रभावी बनाया गया है।

मजदूरी संहिता, 2019, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को समुचित सरकार के रूप में, उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण करने, समीक्षा करने और इनमें संशोधन करने की शक्ति प्रदान करती है।

जारी/2---

आंचलिक और क्षेत्रीय वेतन विसंगतियों को कम करने के उद्देश्य से, मजदूरी संहिता, 2019 निम्नतम वेतन (फ्लोर वेज) को एक वैधानिक उपबंध बनाती है। संहिता में यह निर्धारित किया गया है कि समुचित सरकारों द्वारा निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरें निम्नतम मजदूरी से कम नहीं होंगी।

(घ) और (ङ): प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा हेतु, केंद्र सरकार ने अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्त) अधिनियम, 1979 लागू किया था। इस अधिनियम को अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं (ओएसएच) संहिता 2020 में समाविष्ट कर दिया गया है। ओएसएच संहिता में निर्माण और खनन क्षेत्र के कामगारों सहित सभी श्रेणियों के कामगारों के लिए गरिमापूर्ण कार्यदशाएं, न्यूनतम मजदूरी, शिकायत निवारण तंत्र, दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा, कौशल में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा का उपबंध है।

(च): असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारंभ किया। ई-श्रम पोर्टल असंगठित कामगारों को पंजीकृत करता है और उन्हें स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करता है।

ई-श्रम कार्डधारकों को लाभ प्रदान करने और सामाजिक सुरक्षा, बीमा या कौशल विकास कार्यक्रमों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं को पहले ही ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्व-निधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), आदि शामिल हैं।

उपर्युक्त के अलावा, नौकरी के अवसरों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच), पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) और एमओएचयूए के अभिसरण पोर्टल के साथ ई-श्रम जुड़ा हुआ है।

***